आख्या संख्या: ३४/ जि०-उ०(दैवीय आपदा)-पुनर्वास/2013-14

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र मालचन्द निवासी ग्राम जुगल्डी तोक पटारा तहसील डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी सारणी क्रमांक (19) में परिवार हेतु प्रीफैब्रीकेट आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की टोही भूगर्भीय निरीक्षण *(Reconnaissance)* आख्या।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी द्वारा तहसीलदार डुण्डा/चिन्यालीसौड़/पुरोला को सम्बोधित एवं भूवैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी को पृष्ठांकित कार्यालय पत्र संख्या 1149/तेरह-31 (2012-13) दिनांक 02 नवम्बर 2013 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के कार्यालय आदेश सं० 1051/स्था०/का०आ०/2012-13 दिनांक 15 दिसम्बर 2012 तथा 1560/उ०का०-आपदा/नं०३०-मुख्या०/2011-12 दिनांक 01 अप्रैल 2013 के अनुपालन के क्रम में दिनांक 16 नवम्बर 2013 को ग्राम जुगल्डी में श्री उदय सिंह पंवार, राजस्व उपनिरीक्षक (मो० नं. 7500315785) तथा श्री मुकेश सिंह बिष्ट (मो.नं.-9917223773), श्री सुखवीर सिंह चौहान, (मो.नं.-9411199755) एवं श्री नीरज कुमार पाल (मो.नं. -9759352253), कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि० के दल के साथ ग्रामवासियों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 108 में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी से धरासू की ओर लगभग 10 किमी० दूरी पर के उपरान्त ग्राम जुगल्डी की ओर जाने वाले कच्चे हल्के वाहन मार्ग (LVR) लगभग 05 किमी० की दूरी पर स्थित है। प्रश्नगत पुनर्वास प्रस्तावित भूखण्ड ग्राम जुगल्डी तोक पटारा तहसील डुण्डा के खसरा संख्या 888 रकबा 0.026 है० निजी नाप भूमि है।

भूगर्भीय दृष्टिकोण से लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के अन्तर्गत वर्गीकृत क्षेत्र में पड़ता है। भूखण्ड के अन्तर्गत मृदा का मोटा आवरण सतह पर विद्यमान है। इस भूभाग को सोपान के रूप में कृषि कार्य हेतु विकसित किया गया है। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग की *1:50,000* पैमाने की टोपोशीट संख्या *53J/6* में पड़ता है। जिसके लगभग मध्य भाग की भौगोलिक स्थिति *30°46'11.5"N 78°21'49" E* तथा *msl (mean sea level)* के सापेक्ष कन्टूर लेविल लगभग *1330मी०* है। जिसके ढलान युक्त भूभाग पर यह भूखण्ड पड़ता है उसका ढलान 05°-10° दक्षिणवत् दिशा की ओर है।

सुझाव एवं शर्तें:

प्रीफैब्रीकेट भवन के स्थायित्व हेतु पृष्ठ भाग के सोपान से प्रीफैब्रीकेटेड भवन का निर्माण यथोचित दूरी छोड़ते हुए अपहिल से प्रवाहित होने वाले सतही/अन्तर्सतही वर्षा जल व भवन में प्रयुक्त जल की सुरक्षित निकासी को सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्रश्नगत भूभाग में वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने के फलस्वरूप सतह से लगभग 1.5 फीट गहराई में सतह पर सघनता *(compactness)* अवलोकित की गई है। अतः नींव की गहराई के आकलन में इस तथ्य को सम्मिलित कर तदनुसार यथोचित गहराई तक प्रीफैब्रीकेट आवासीय भवन की नींव को स्थायीत्व स्थापित करने एवं अवतलन *(subsidence)* को प्रतिबन्धित करने हेतु रखा जाना नितान्त आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

प्रथम दृष्टया, वर्तमान में, इस भूखण्ड पर उपरोक्त सुझावों एवं शर्तों के अनुपालन के तहत प्री फैब्रीकेटेड प्रकृति के आवासीय भवन का निर्माण किये जाने हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है।

दिनांक: 21 नवम्बर, 2013
स्थान: कैम्प लदाड़ी, उत्तरकाशी

(दीपेन्द्र सिंह चन्द)
सहायक भूवैज्ञानिक
Mob: 8192802331
Email id: pgddn-dgm-uk@nic.in